हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.06.2024 को पेश हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

प्रा0 पत्र संख्या:— 291/2024
उनवान जगदीश बनाम भूमिधारी

27/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पाया जाता है। बावजूद सम्यक तामील अनु.। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 कुल रकबा 3.20 हैक्ट. का प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का दिनांक 06.04.2022 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम मावण्डा खूर्द पटवार हल्का मावण्डा खूर्द तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 कुल रकबा 3.20 हैक्ट. प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व समस्त खातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बावत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मावण्डा खूर्द पटवार हल्का मावण्डा खूर्द तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 कुल रकबा 3.20 हैक्ट. की प्रार्थी, समस्त खातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 06.04.2022 पत्थरगढ़ी की जावे। दौ[illegible] कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही [illegible] जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु [illegible] जारी हो। [illegible] बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्त[illegible]।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:46:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner